



# HAMIRPUR POLICE



थाना मुस्करा

दिनांक-18.09.2021

प्रभावी पैरवी कर नाबालिक छात्रा के अपहरण से संबंधित  
02 अभियुक्तों क्रमशः 02-02 वर्ष एवं 05 वर्ष के कठोर  
कारावास व अर्थदंड की सजा दिलायी गयी:-

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक .17/03/2015.को थाना मुस्करा हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0स0-268/15 धारा- 363,366,376,504,506,120 b आईपीसी व 06 पाँचसो एक्ट में नामजद 1)अभियुक्त केशव प्रसाद पुत्र चंडी कुशवाहा 2)श्रीमती कमला पत्नी कल्लू कुशवाहा निवासी गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में दोनो आरोपियों को नाबालिक लड़की के अपहरण एवं गाली-गलौज व धमकी देने की घटना का दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पाँचसो एक्ट द्वारा अभियुक्त केशव प्रसाद को धारा 504,506 IPC का दोषी मानते हुए 02-02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये का जुर्माना व अभियुक्ता कमला को 366 ipc का दोषी मानते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गयी।